

रमजाना V/s अनुमान दावा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>सु० न० 148/2017 हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</p>
<p>24-08-20</p>	<p>ईकजार्ड तारीख देने से पत्रावली आज पेश हुयी। वकील प्रतिवादीने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किे वादी रमजान का देहात करीब 03 वर्ष पूर्व हो चुका है, कायम मुकाम हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इस कारण दावा चलने योग्य नहीं है एवं दावा अर्बैट हो चुका है। नकल वकील वादी को प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली वास्ते आफरयड आग्रिम कार्यवाही दिनांक 04/09/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(R)</p>
<p>04-9-20</p>	<p>पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उन्नम पञ्ज उफ० वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वाकत दावा अर्बैट करने का कोई जबाब पेश नहीं किया, अर्बैट करने पर भी कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया। अतः प्रार्थना पत्रावली स्वीकार किया जाकर दावा वादी अर्बैट किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर तम्बल से कम होकर दफ्तर दारखल हो।</p> <p style="text-align: center;">(R)</p> <p style="text-align: center;">04/09/2020</p> <p style="text-align: center;">(हेपेशा कुमार)</p> <p style="text-align: center;">सहायक जज (न्यायिक) (आ. इ.)</p> <p style="text-align: center;">मिनाधोपुर</p>

